



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों रोड, निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर
देहरादून-248008

वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in

E-mail: chavanavog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 55/उ0अ0से0च0आ0/2024

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	16 फरवरी, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	25 फरवरी, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	16 मार्च, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	20 मार्च से 22 मार्च, 2024 तक
लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि/माह	जून, 2024

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के कुल 370 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 16 मार्च, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online Mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि/माह अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र, आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का Mobile Phone Number व E-Mail ही भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना आदि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

1. पदनाम—

अनुदेशक (विद्युतकार)

पदकोड—447 / 1055 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—28

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	03	01	—	01	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	05	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	03	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	16	05			01	
		योग	28	08			—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —47

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	12	03	01	02	01	02 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	02	01			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	06	02			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	04	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	23	07			01	
		योग	47	14			01	

(iii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iv) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रीकल/इलैक्ट्रॉनिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रीकल/इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ विद्युतकार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

2. पदनाम—

अनुदेशक (फिटर)

पदकोड—447/860/55/2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—40

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	मृतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	06	02	01	02	01	02 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	01			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	07	02			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	04	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	22	08			01	
		योग	40	14			01	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -30

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	05	01	-	01	-	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	-			-	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	03	01			-	
		आ०क०व० (E.W.S.)	03	01			-	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	18	04			01	
		योग	30	07			-	01

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (य०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०आई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

3. पदनाम—

अनुदेशक (इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक)

पदकोड—447 / 845 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—22

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	05	01	—	01	—	01
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	01			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	02	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	02	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	12	04			01	
		योग	22	07			—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —18

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	03	01	—	01	—	01
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	05	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	02	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	07	02			—	
		योग	18	05			—	

(iii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

4. पदनाम—

अनुदेशक (वैल्डर)

पदकोड—447 / 1060 / 55 / 2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—19

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	03	01	—	01	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	03	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	02	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	10	03			01	
	योग	19	06	—	01	01	01	

(ii). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -09

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	02	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	01			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	01	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	05	01			—	
		योग	09	02			—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल/मेटालर्जी/प्रोडेक्शन इंजीनियरिंग/मैकैट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल एण्ड एलाइड में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ वैल्डर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

5. पदनाम—

अनुदेशक (इम्प्लाइबिलिटी स्किल)

पदकोड—447 / 850 / 55 / 2024

(i), कुल रिक्त पदों की संख्या—24

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	04	01	—	01	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	03	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	02	01			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	15	04			01	
		योग	24	07			—	

(ii) वेतनमान:—रु० 44,900—रु० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमा:—21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष। मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/बैचलर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/कोई स्नातक/किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा दो वर्षीय अनुभव सहित, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत इम्प्लाइबिलिटी स्किल के लघु अवधि टी०ओ०टी० कोर्स (अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो/संचार कौशल/कक्षा 12 में बेसिक कम्प्यूटर/डिप्लोमा स्तर और ऊपर)

अथवा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत इम्प्लाइबिलिटी स्किल में लघु अवधि टी०ओ०टी० कोर्स सहित।

6. पदनाम—

अनुदेशक (कला-गणित)

पदकोड-447/880/55/2024

(i), कुल रिक्त पदों की संख्या-18

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	16	05			—	
		योग	18	05			—	

(ii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री इन इंजीनियरिंग तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

तीन वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त टेक्निकल एजुकेशन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (वोकेशनल) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में तीन वर्ष के अनुभव सहित नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

अथवा

नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण इन ऐनी वन ऑफ द इलेक्ट्रीकल ग्रुप्स (जीआ-11) ट्रेड्स केटेगोराइज्ड अन्डर इंजीनियरिंग ड्राइंग/ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल/ड्राफ्ट्समैन सिविल तीन वर्षीय अनुभव के साथ।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत रोडा/ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल/सिविल) किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

7. पदनाम— अनुदेशक (ड्राफ्ट्समैन सिविल)

पदकोड—447 / 830 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—07

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	01	—	—	—	—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—	—	—	—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	06	02	—	—	—	
		योग	07	02	—	—	—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —06

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—	—	—	—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—	—	—	—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	05	01	—	—	—	
		योग	06	01	—	—	—	

- (iii) वेतनमान:- रू0 44,900-रू0 1,42,400 (लेवल-07)
 (iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक
 (v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ड्राफ्टसमैन सिविल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

8. पदनाम- अनुदेशक (फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी)

पदकोड-447/855/55/2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या-06

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	04	01			—	
	योग		06	01	—	—	—	—

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -07

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	01			—	
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	01	—	—	—	—	—
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	05	01			—	
		योग	07	02	—	—	—	—

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइन/टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री (चार वर्षीय) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइन/टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री (तीन वर्षीय) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्थान से फैशन डिजाइन/टेक्नोलॉजी/सी०डी०डी०एम० तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ फैशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

9. पदनाम—

अनुदेशक (मशीनिष्ट)

पदकोड—447 / 890 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—13

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	02	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	09	03			—	
		योग	13	03			—	

(ii) वेतनमानः— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमाः— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

10. पदनाम—

अनुदेशक (स्वीडिंग टेक्नोलॉजी)

पदकोड—447 / 1045 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—13

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	03	01	—	—	—	01 LV/PB,D, HH/PD, LC,Dw, AAV/AV, Th,Hp
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	08	02			—	
		योग	13	03			—	

(ii) वेतनमानः— ₹0 44,900—₹0 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमाः— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से फैशन एण्ड एपरल टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी/कॉस्टयूम डिजाइन एवं ड्रैस मेकिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

11. पदनाम—

अनुदेशक (मैकेनिक मोटर व्हीकल)

पदकोड—447 / 895 / 55 / 2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—10

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	04	01	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	01	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	02	01			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	01	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	01			—	
		योग	10	03			—	

(ii) वेतनमानः— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमाः— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त। हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आवश्यक है।

12. पदनाम— अनुदेशक (इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेंस)

पदकोड—447 / 870 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—02

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	01			—	
		योग	02	01	—	—	—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —06

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	05	01			—	
		योग	06	01	—	—	—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी इन कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई०टी०/इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नाकोत्तर तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई०टी० अथवा एन०आई०ई०एल०आई०टी० "ए" लेवल में स्नातक तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड/से कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्प्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेंस व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

13. पदनाम—

अनुदेशक (कॉस्मेटोलॉजी)

पदकोड—447/820/55/2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—04

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	04	01			—	
		योग	04	01	—	—	—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —04

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	01	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	01			—	
		योग	04	01	—	—	—	

(iii) वेतनमान:— ₹0 44,900—₹0 1,42,400 (लेवल—07)

(iv) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता संस्थान से सम्बन्धित क्षेत्र में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से ब्यूटी कल्चर/कॉस्मेटोलॉजी में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

14. पदनाम— अनुदेशक (स्टेनोग्राफर एण्ड सैक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)

पदकोड—447 / 1035 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—06

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	मृतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	02	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	02	—	—	—	—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—	—	—	—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	01	—	—	—	
		योग	06	01	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित व्यवसाय में स्नातक की उपाधि तथा एक वर्षीय सम्बन्धित अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित व्यवसाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा तथा दो वर्षीय सम्बन्धित अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

15. पदनाम—

अनुदेशक (टर्नर)

पदकोड—447 / 1050 / 55 / 2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—06

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	05	01			—	
		योग	06	01			—	

(ii) वेतनमानः—रु० 44,900—रु० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमाः—21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

16. पदनाम— अनुदेशक (रिफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीशन टेक्नीशियन)

पदकोड-447/1025/55/2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -04

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	04	01			—	
		योग	04	01	—	—	—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—	—	—	—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ रेफ्रीजरेशन और एयर कन्डीशन टेक्नीशियन व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

17. पदनाम—

अनुदेशक (ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक)

पदकोड—447/835/55/2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —03

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	01	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—				
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—				
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—				
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	01				
		योग	03	01	—	—	—	—

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—	—	—	—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) / यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल / डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०) / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

18. पदनाम—

अनुदेशक (प्लम्बर)

पदकोड—447 / 1020 / 55 / 2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —03

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.W.O.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	03	—			—	
		योग	03	—			—	

(ii) वेतनमान:— ₹0 44,900—₹0 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

19. पदनाम— अनुदेशक (कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)

पदकोड—447 / 815 / 55 / 2024

(i). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —02

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.W.O.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	02	—			—	
		योग	02	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(ii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

20. पदनाम—

अनुदेशक (मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग)

पदकोड—447/1000/55/2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—			—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—			—	

(iii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iv) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

21. पदनाम—

अनुदेशक (मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर)

पदकोड—447 / 1005 / 55 / 2024

(i). डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या—01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.W.O.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—	—	—	—	—

(ii). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	मूलपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—			—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव-

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल/डिग्री (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०)/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी०के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

22. पदनाम— अनुदेशक (मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाइंसेस)

पदकोड-447/1010/55/2024

(i), डिप्लोमा/डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या-01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—		—		
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—		—		
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—		—		
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—		—		
		योग	01	—	—	—	—	

(ii), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—		—		
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—		—		
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—		—		
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—		—		
		योग	01	—	—	—	—	

(iii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(v) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त

(vi) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) / यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यू०जी०सी०) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक्स / इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल / डिग्री तथा सम्बन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

अथवा

ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए०आई०सी०टी०ई०) / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रीकल / इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत सम्बन्धित एडवान्स डिप्लोमा (व्यवसायिक) तथा सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ मैकेनिक कन्ज्यूमर इलैक्ट्रॉनिक्स एप्लाइंसेस व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०) / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

23. पदनाम—

अनुदेशक (पेन्टर जनरल)

पदकोड—447 / 1015 / 55 / 2024

(i). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —02

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (U.K.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—	—	—	—	—
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—	—	—	—	—
		सामान्य / अना० (Gen./U.R.)	02	—	—	—	—	—
		योग	02	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ पेन्टर जनरल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

24. पदनाम—

अनुदेशक (कारपेन्टर)

पदकोड—447/810/55/2024

(i). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	मूलपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—	—	—	—	—
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—	—	—	—	—
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ कारपेन्टर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०)/नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

25. पदनाम—

अनुदेशक (ड्रेस मेकिंग)

पदकोड—447 / 840 / 55 / 2024

(i), नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या —01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य/अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०) / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

26. पदनाम—

अनुदेशक (सर्वेयर)

पदकोड—447 / 1040 / 55 / 2024

(i). नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या -01

क्र० सं०	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उत्तराखण्ड महिला (UK.WO.)	स्व०सं०से० के आश्रित (D.F.F.)	भूतपूर्व सैनिक (EX.SER.)	अनाथ (ORPHAN)	दिव्यांग (DIVYANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड	अ०जा० (S.C.)	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा० (S.T.)	—	—			—	
		अ०पि०व० (O.B.C.)	—	—			—	
		आ०क०व० (E.W.S.)	—	—			—	
		सामान्य / अना० (Gen./U.R.)	01	—			—	
		योग	01	—			—	

(ii) वेतनमान:— रू० 44,900—रू० 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव—

(1). सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ सर्वेयर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एन०टी०सी०) / नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एन०ए०सी०) उत्तीर्ण।

(2). डी०जी०टी० के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एन०सी०आई०सी०) प्राप्त।

नोट 1:— दिव्यांग श्रेणी LV/PB-Low Vision/Partially Blind, D-Deaf, HH/PD-Hard of Hearing/Partially Deaf, LC-Leprosy Cured,Dw-Dwarfism, AAV/AV- Acid Attack Victims/Acid Victims, Th-Thalassaemia, Hp-Hemophilia

नोट 2:— सीधी भर्ती के लिये चयन सूची के निर्माण के लिये अंकों का बंटवारा निम्नांकित रूप में होगा—

क— लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 90 प्रतिशत।

ख- प्रदेश सरकार के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुभव धारकों को प्रति एक वर्ष की सेवा पर 0.5 अंक जो कि अधिकतम 05 अंक तक होंगे। एक वर्ष से तात्पर्य न्यूनतम 240 कार्य दिवस माना जायेगा तथा एक वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

ग- अन्य अंक-अधिकतम 05 अंक जो कि निम्नवत होंगे-

- (क). अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को- 05 अंक।
- (ख). राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को- 04 अंक।
- (ग). राज्य स्तर के खिलाड़ी को- 03 अंक।
- (घ). विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर के खिलाड़ी को- 02 अंक।
- (च). एन0सी0सी0 "बी" प्रमाण पत्र धारक- 02 अंक।
- (छ). एन0सी0सी0 "सी" प्रमाण पत्र धारक- 03 अंक।
- (ज). प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा में रहने के- 02 अंक।

नोट-किसी एक अभ्यर्थी को उपरोक्त ग श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणी क,ख,ग,घ श्रेणी में से किसी एक ही श्रेणी के अधिकतम अंक अनुमन्य होगा तथा च अथवा छ श्रेणी किसी एक श्रेणी के ही अधिकतम अंक दिये जायेंगे।

27. लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा निम्नवत होगी-

- (क) विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न (ट्रेड से संबंधित) -70 अंक
- (ख) सामान्य ज्ञान (10 अंक), कम्प्यूटर (10 अंक) तथा सामान्य हिन्दी (10 अंक) से संबंधित प्रश्न-30 अंक

अभ्यर्थी विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न (ट्रेड से संबंधित) पाठ्यक्रम हेतु **National Council For Vocational Training (NCVT)** के पाठ्यक्रम तथा 30 अंकों हेतु परिशिष्ट-01 का अवलोकन करें।

28. प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश:-

(i) सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheets) ट्रिप्लीकेट (तीन प्रतियों) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर

पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम सही विकल्प का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि पूर्णतया प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या अनुक्रमांक के सापेक्ष गलत वृत्तों को अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसके ओ0एम0आर0 पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

29. अधिमान:- लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा)। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

30. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। इस प्रकार अनुदेशक सवर्ग के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)-परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

31. आवेदन हेतु पात्रता:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से

अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

नोट:- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर-क, ख, ग, घ, ड. में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

32. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

33. राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

34. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध

सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

35. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

36. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

37. आरक्षण:-

1. ऊर्ध्व आरक्षण- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
2. क्षैतिज आरक्षण- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं तथा अनाथ अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्राप्त करने के लिए 'केवल उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत प्रमाण पत्र' ही मान्य होगा।
5. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(i) "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके

नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट 1:— 1—भारत सरकार के O.M. N0. 36034/6/90-Estt.(SCT)दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

2— भारत सरकार के Notification N0. 36034/5/85-Estt.(SCT)दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

3— भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

नोट 2:—

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है।
2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा अनाथ बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 3:- अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च), 2(छ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी परिशिष्ट-2 के अनुसार ही अपने प्रपत्र तैयार करवायें।

नोट 4 :- रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

38. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा।

39. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क (रु०)
01	अनारक्षित/सामान्य (Unreserved/General)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

नोट:-निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा।

40. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस)19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा

अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(13) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(14) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) परीक्षा भवन में आचरण:- कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR)की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य कर दिया जायेगा।

(19) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:-

(क) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि, वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र में झूठा विवरण देने, परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

(ख) अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है, जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो, क्योंकि चयनित होने के उपरांत उन्हें सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कतिपय मामलों में यह संज्ञान में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है व उन्हें आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग एक स्वायत्त (Autonoms) संस्था है व चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण के लिए आयोग पर राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा की गयी संस्तुति से अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

(22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।


(23) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए—

EWS	-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
WO	-	महिला अभ्यर्थी
DFP	-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
EX.SER.	-	भूतपूर्व सैनिक
DIVYANG	-	दिव्यांग
ORPHAN	-	अनाथ बच्चे

(24) इस विज्ञापित द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जाएगा।

(25) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन (Computer based test) परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जाएगी।

(26) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/01(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक-16/XXX(4)/2023-03(27)2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचार के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड-(ख)

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर तथा सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्या : 30

अधिकतम अंक: 30

1. सामान्य ज्ञान

10 अंक/10 प्रश्न

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं
- खेल एवं मनोरंजन
- भारत का आधुनिक इतिहास
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
- भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
- उत्तराखण्ड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक व आर्थिक संसाधन, राजनैतिक, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद व मनोरंजन से सम्बन्धित जानकारी

2. कम्प्यूटर

10 अंक/10 प्रश्न

विकास की दृष्टि से कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग :: अभ्यर्थीगण से विकास की दृष्टि से कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, इन्टरनेट, संचार पर आधारित ज्ञान अपेक्षित होगा।

3. सामान्य हिन्दी

10 अंक/10 प्रश्न

- पर्यायवाची शब्द
- विलोम शब्द
- शब्द समूहों हेतु एक शब्द
- वर्तनी शुद्धि
- संधि-विच्छेद
- मुहावरे व लोकोक्तियां
- उत्तराखण्ड की गढ़वाली, कुमांउनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.

दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....

.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्ल्यू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-2(छ)

दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण

Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories

वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी०	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V/P.B.	एल०वी० / पी०बी०	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि / आंशिक दृष्टि
3	D.	डी०	Deaf	बधिर
4	H.H/P.D.	एच०एच० / पी०डी०	Hard of Hearing/Partially Deaf	श्रवण शक्ति में ह्रास / आंशिक बधिर
5	O.A.	ओ०ए०	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभावित (1) ह्रासित (2) पकड़ने में असमर्थ (3) स्नायु दुर्बलता
6	O.L.	ओ०एल०	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी०ए०	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) ह्रासित (2) कमजोर पकड़
8	B.L.	बी०एल०	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बी०एल०ए०	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बी०एच०	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओ०ए०एल०	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सी०पी०	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	एल०सी०	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
14	Dw.	डी०डब्ल्यू०	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V/A.V.	ए०ए०वी० / ए०वी०	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित / एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	ए०एस०डी०	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
17	S.L.D.	एस०एल०डी०	Specific learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	आई०डी०	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy./M.W.	एम०डी०वाई० / एम०डब्ल्यू०	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण / मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
20	M.I.	एम०आई०	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एम०डी०	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	टी०एच०	Thalassaemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एच०पी०	Hemophilia	हीमोफीलिया

परिशिष्ट-2(ज)

प्रारूप

अनुभव प्रमाण पत्र

संस्था का नाम/जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

टेलीफोन नं0.....

फैक्स.....

संस्था का नाम व पता:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....S/O,D/O,W/O
श्री.....इस संस्थान में निम्न विवरणानुसार कार्यरत रहे हैं।

पद का नाम	अवधि (कब से) दिन/माह/वर्ष	अवधि (कब तक) दिन/माह/वर्ष	कुल सेवा अवधि दिन/माह/वर्ष	पद का स्वरूप स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतन, गैस्ट आदि।
1	2	3	4	5

वेतनमान/अन्तिम आहरण वेतन का विवरण	कार्य का विवरण जिस हेतु अनुभव रखते हैं (कृपया अनुभव वाले पद का स्पष्ट उल्लेख करें)	कार्यरत स्थान का नाम
6	7	8

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य हमारी संस्था के सेवा अभिलेखों के आधार पर सही एवं सत्य हैं।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

नोट-1. अनुभव प्रमाणपत्र हेतु संबंधित क्षेत्र में यथा किसी उद्योग/तकनीकी शिक्षण संस्थान/अन्य संस्थान में कार्यरत कर्मचारी ही पात्र होंगे।

2. अनुभव प्रमाण पत्र के फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं अभ्यर्थी तथा प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान/प्राधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।